न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर–महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार मीना, RJS.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 507/2024 पुलिस थाना कानोता, जयपुर पूर्व
जमानत आवेदन संख्या :– 92/2026
सीआईएस संख्या :– 91/2026

1. मगन महावर पुत्र स्व. श्री रामरतन महावर निवासी ग्राम फालियावास पुलिस थाना कानोता, जिला जयपुर, राजस्थान।

...प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान सरकार

...अप्रार्थी

(द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा.द.स., पुलिस थाना कानोता, जयपुर पूर्व)

उपस्थित :–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री दिनेश शर्मा अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

–: आदेश :– दिनांकः 01.05.2026

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 507/2024 पुलिस थाना कनोता, जयपुर पूर्व अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं. की पत्रावली इस न्यायालय में विचारणीय होने से प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह **द्वितीय जमानत** का आवेदन पत्र अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवायी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त व विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.05.2024 को परिवादी श्रवण लाल उर्फ मुकेश ने पुलिस थाना कानोता में उपस्थित

होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम भयपुर पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा हाल ग्राम फालियावास पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर का रहने वाला है। उसकी मां का नाम बरदी देवी है। करीब 20 साल पहले उसके पिताजी श्री बाबू लाल द्वारा उसकी मां को छोडने पर उसकी मां ने रामरतन निवासी ग्राम फालियावास के नाता प्रथा से शादी की थी। उसके बाद से ही वह अपनी मां के साथ ग्राम फाालियावास में निवास करता है। उसकी मां के दूसरे पति श्री रामरतन से 6 बेटा बेटी पैदा हुए है। दिनांक 04.05.2024 को वह ग्राम शिवदासपुरा में बेलदारी का काम कर रहा था, समय करीब दोपहर दो बजे उसके ठेकेदार श्री नारायण माली ने उसे बताया कि उसके गांव फाालियावास से रामावतार शर्मा का फोन आया है कि उसके घर पर कोई झगडा हुआ है, उसे अभी घर जाना है। उसके बाद ठेकेदार नारायण माली के साथ वह उसके घर ग्राम फाालियावास आ गया। वह जब उसके घर आया तब उसकी मां को चित अवस्था में कमरे में लेटा रखा थ। उसने उसकी मां को देखा तो उसकी मां के सिर में चोट लगी हुई थी तथा सिर के नीचे खून लगा हुआ था। जब उसने वहा मौजूद लोगो से मालूमात किया तो फालियावास बिजली ग्रेड में काम करने वाला रवि कुमार जाट ने बताया कि उसकी मां बरदी देवी तथा उसके भाई मगन के बीच झगडा हो गया था तो झगडे में मगन ने पत्थर से उसकी मां के सिर में मार दिया, जिससे उसकी मां गिर गई और उसकी मौत हो गई..... इत्यादि जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 507/2024 धारा 302 भारतीय दंड संहिता मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त मगन महावर के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुए पूर्व में उक्त धारा में आरोप पत्र पेश किया होकर पत्रावली वास्ते बहस चार्ज हेतु नियत है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गलत रूप से झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त प्रकरण के विचारण में समय लगने की प्रबल संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के उक्त प्रकरण में 11 गवाह परीक्षित हो चुके हैं, सभी गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है। चश्मदीद गवाह भी पक्षद्रोही हुए है। प्रार्थी/अभियुक्त 02 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पत्थर से मारने पर मृत्यु कारित होना मानकर चालान

प्रस्तुत किया है, जबकि चश्मदीद गवाह पत्थर की ढेरी पर गिरने पर चोट आने पर मृत्यु होना बताया है। अनुसंधान अधिकारी ने उक्त प्रकरण में निष्पक्ष जांच नहीं की और भिन्न–भिन्न कथन दर्ज किये है। प्रार्थी जयपुर का स्थायी निवासी है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलको पर रिहा करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैंः–

1. सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य
   विशेष अनुमति याचिका(सीआरएल) संख्या 5191/2021 में विविध आवेदन संख्या 1849/2021
2. दीपक शर्मा बनाम हिमाचल प्रदर्श राज्य और अन्य
   सीआर.एमपी(एम) संख्याः 160 वर्ष 2026

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व कथन किया कि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया चुका है। तथा उक्त प्रकरण में 11 बयान लेखबद्ध किये जा चुके है। जिससे अभियुक्त का अपराध बखूबी साबित है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि इस मामले में परिवादी श्रवण लाल ने उसकी मां की हत्या मुलजिम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट दर्ज करवायी है जिस पर अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है तथा अभियोजन के गवाहो के बयान लेखबद्ध किये जा चुके हैं। पत्रावली के अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि इस प्रकरण में गवाह भगवान सहाय, श्रीमती ज्योति ने स्वयं को चश्मदीद गवाह बताते हुए यह कथन किया है कि मुलजिम ने पत्थर से उसकी मां बरदी देवी के सिर में मारी थी जिससे उसकी मृत्यु हुई है। न्यायालय में ज्योति पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परिक्षित हुई हालांकि वह पक्षद्रोही घोषित हुई है परंतु उसने अपने बयानों में कथन किया है कि मुलजिम व उसकी माता जब लड़ रहे थे तो उन्होंने उनको छुड़वाने की कोशिश की थी। इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यू–3 ने भी अपने सामने घटना होना न्यायालय में स्वीकार किया है। अभियुक्त पर स्वयं की मां की हत्या करने का आरोप है। इस मामले में 11 बयान लेखबद्ध किय जा चुके

है। केवल कुछ ही बयान लेखबद्ध किया जाना शेष है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा मुलजिम का जमानत आवेदन खारिज किया जा चुका है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी उसका जमानत आवेदन खारिज किया है। ऐसी परिस्थिति में मुलजिम का द्वितीय जमानत का आवेदन स्वीकार किये जाने का कोई आधार न्यायालय के समक्ष नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त मगन महावर पुत्र श्री रामरतन महावर की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम।

7 आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम।